

चेक लिस्ट क्रमांक -19

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -11" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बिलासपुर जिला के मरवाही वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत मरवाही ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर महोदय, जिला बिलासपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।



प्राधिकृत अधिकारी
टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
वास्ते - संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
(आवेदक)
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

neem
वनमण्डलाधिकारी,
मरवाही वनमण्डल,
जिला-बिलासपुर, (छत्तीसगढ़).

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) बिलासपुर छत्तीसगढ़

अनापत्ति पत्र

क्रमांक /3014/भू0अ0/स0अ0भू0अ0/2019

बिलासपुर दिनांक 11.12.2019

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS)

स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाइन रायपुर छत्तीसगढ़

विषय : भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के सफल क्रियान्वयन हेतु आपके जिला क्षेत्र के मरवाही वनमण्डल पेंड्रा रोड क्षेत्रान्तर्गत मरवाही ब्लॉक अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु मार्ग में प्रभावित 0.103 हे. राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र "CEO छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) रायपुर" के नाम से प्रदान करने विषयक अनुरोध ।


—000—

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाइन रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा "भारतनेट प्रोजेक्ट" के तहत बिलासपुर जिला क्षेत्र के मरवाही वनमण्डल पेंड्रा रोड क्षेत्रान्तर्गत मरवाही ब्लॉक अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु ग्रामवार राजस्व वनभूमि की भू-प्रत्यावर्तन करना उल्लेखित किया गया है -

राजस्व वन भूमि (छोटे/बड़े के जंगल)

क्र	तहसील	ग्राम	खसरा	रकबा हे.	मद	रिमार्क
1	मरवाही	बागड़ी	254	0.005	बड़े झाड़ के जंगल	
2	मरवाही	बागड़ी	438	0.011	बड़े झाड़ के जंगल	
3	मरवाही	मसूरीखार	358/1	0.006	बड़े झाड़ के जंगल	
4	मरवाही	दानीकुंडी	10/1	0.060	बड़े झाड़ के जंगल	
5	मरवाही	मटियाडांड	179	0.004	बड़े झाड़ के जंगल	
6	मरवाही	कुम्हारी	212	0.006	बड़े झाड़ के जंगल	
7	मरवाही	सेखवा	1439/1	0.004	बड़े झाड़ के जंगल	
8	मरवाही	सिवनी	1377	0.007	बड़े झाड़ के जंगल	
योग				0.103		

चूँकि प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि श्रेणी में है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विशयांकित कार्य के संपादन में ग्रामों स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।


कलेक्टर,
जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)